श्रमिकों के लिये समान संहिता

2926. **श्री नाथूराम अहिरवार :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र और कृषि उद्योग में लगे सभी प्रकार के श्रमिकों के लिये एक ही संहिता बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि **हाँ**, तो इसे कब तक बनाया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। परन्तु सरकार को यह मालूम हुआ है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा नियुक्त श्रम विधान सम्बन्धी अध्ययन दल ने आयोग को भेजी अपनी रिपोर्ट में श्रम संहिता बनाने के बारे में सिफारिश की है। सरकार इस समय इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही वह इस पर विचार करेगी।

उर्वरकों के वितरण के लिये लाइसेंस

2927. **श्री नाथूराम अहिरवार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें उर्वरकों को सहकारी समितियों के द्वारा बेचने के बजाय इनका वितरण कार्य गैर-सरकारी एजेन्सियों को सौंपा गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उनको इसके लिये अनुमति दी गयी थी ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहब शिन्दे) : (क) जम्मू-काश्मीर, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली और मणिपुर में उर्वरकों के वितरण की व्यवस्था केवलमात्र सहकारी संस्थाओं द्वारा की जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य-प्रदेश, हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश, केरल, मद्रास, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मैसूर, चण्डीगढ़, पांडिचेरी और गोवा, दमन और द्वीप में उर्वरकों का वितरण मुख्यतः सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है और कुछ अंशतः गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा भी किया जाता है। असम और अन्डेमान और निकोबार, लैकाद्वीप, त्रिपुरा, नेफा और हिमाचल प्रदेश के केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में उर्वरकों का वितरण राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों और विभागीय एजेन्सियों को सौंप दिया गया है।

(ख) और (ग). किसी भी राज्य/संघ क्षेत्र में उर्वरकों के आन्तरिक वितरण का पूरा उत्तरदायित्व राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन का है और केन्द्रीय सरकार द्वारा वितरकों की नियुक्ति की कोई अनुमति नहीं प्रदान की जाती है।

नये रेडियो स्टेशन

2928. **श्री नाथूराम अहिरवार :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पांच वर्षों में सरकार द्वारा किन-किन स्थानों पर रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) रेडियो स्टेशन स्थापित करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) रेडियो केन्द्रों के स्थान का निर्णय सरकारी नीति सम्बन्धित प्रदेश के क्षेत्र, उसकी जन संख्या, भाषा और संस्कृति, उसके प्रशासन स्थान, कलाकारों की उपलब्धि और तकनीकी सहूलियत आदि बातों का ध्यान रखते हुए किया जाता है।

विवरण

जिन स्थानों पर अगले पांच वर्षों में रेडियो केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है उनकी सूची

(क) जिन स्थानों पर नये रेडियो केन्द्र स्थापित करने की मंजूरी हो गई है उनके नाम :

1. गोरखपुर
2. कुमायूं क्षेत्र
3. लेह
4. सिल्चर
5. अल्लेप्पी/त्रिचूर
6. तोवांग
7. नियायूसा (लांगडिंग)
8. कोलोरिएांग
9. अमिनी

(ख) चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के मसौदे में निहित प्रस्तावों के अनुसार जिन स्थानों पर रेडियो केन्द्र स्थापित किये जायेंगे उनके नाम। तथापि, अंतिम निर्णय पंच वर्षीय योजना के स्वीकृत होने पर ही लिया जायेगा :

1, जगदलपुर	9. मंगलौर	17. दरभंगा
2. छतरपुर	10. मरकरा	18. धनबाद
3. रेवा	11. सूरतगढ़	19. जमशेदपुर
4. अम्बिकापुर	12. उत्तरकाशी	20. सूरत
5. जलगांव	13. टिहरी गढ़वाल	21. लुंगलेह
6. रत्नगिरी	14. पौड़ी गढ़वाल	22. नेफा क्षेत्र 5 संख्या
7. औरंगाबाद	15. गोपेश्वर (चमौली)	23. रोहतक
8. शोलपुर	16. झांसी	

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूँ की खरीद

2929. **श्री नाथूराम अहिरवार** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितनी मात्रा में गेहूँ खरीदने का प्रस्ताव है ;

(ख) विभिन्न राज्यों में किन एजेंसियों द्वारा यह गेहूँ खरीदी जाएगी ;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी राज्यों में किसानों को केन्द्र द्वारा नियत मूल्य दिए जाते हैं ;

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव खरीद कार्य केवल सहकार समितियों को देने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम लगभग 25 लाख से 30 लाख मीटरी टन तक गेहूँ की अधिप्राप्ति करने की व्यवस्था कर रहा है।

(ख) एजेन्टों के माध्यम से जिनमें सहकारी समितियाँ, कच्चे और पक्के अढ़तिया शामिल हैं और सीधे उत्पादकों से भी प्रत्येक राज्य में अधिप्राप्ति कार्य के लिये जिन एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग किया जाना है, उसका निर्णय राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम आपसी विचार विमर्श से करते हैं।

(ग) जी हां, लेकिन किस्म सम्बधी कटौती के कारण घटौती हो सकती है।

(घ) यथा सम्भव सहकारी समितियों का उपयोग किया जाता है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।